

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
भोमाराम पुत्र नखताराम जाति जाट, निवासी अलसाणियों की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (03)		नखताराम पुत्र खेताराम जाति जाट, निवासी अलसाणियों की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (31)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (धारा 88,40,188)

मुकदमा नम्बर 87 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.07.2023	प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के वकील श्री बालाराम गोदारा ने यह प्रार्थना पत्र/राजस्व वाद/अपील धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 11.08.2023 को पेश हो।	
11.08.23	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठारीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्लवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 14.09.23 को पेश हो।	
14.09.23	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठारीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्लवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 11.10.23 को पेश हो।	
11.10.23	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण की तामिली हुकु दिनांक 18.12.23 को पेश हो।	
18.12.23	बार अधिवक्ता सर्व, का इन्टि के रेफरेंस पर होने से इल्लवा होकर पत्रावली दिनांक 20.12.23 को पेश हो।	

सहायक कलक्टर  
(SDO) शिव



6.8.25

पत्रावली पेश हुई।  
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।  
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के  
कारण इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार  
दिनांक 04.09.25 को पेश हो।

04.09.25

पत्रावली पेश। उभयपक्ष अधिवक्ता अनुपस्थित।  
पत्रावली में उभाबी पैरवी हेतु बिन्धापालप  
समय में बाधी व उभयपक्ष अधिवक्ता को रुक-  
रुकर मावों दी जाने के बावजूद अनुपस्थित।  
अतः पत्रावली में उभाबी पैरवी नहीं होने तथा  
बाधी व उभयपक्ष अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने  
पर उम्हें बाद मक हाजरी व मक पैरवी  
में खारिज भी जारी हैं।

पत्रावली नम्बर से उम शेखर दाखिल

दस्तावेज

सहायक कलक्टर  
(SDO) शिव